माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर

(पुँवारका, सहारनपुर, उ0प्र0, पिन–247120)

Website- msuniversity.ac.in Email ID – registrar@msuniversity.ac.in

पत्रांक : 2245 / 07 / प्रशा0 / MSU / 2023–24 दिनांक : 13-03-24

सेवा में,

प्राचार्य / प्राचार्या

समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय

विषयः उ0प्र0 दहेज प्रतिषेध नियमावली, 1999 यथासंशोधित नियमावली, 2004 के प्रावधानों के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के पत्र संख्या–565 / सत्तर–3–2024, दिनांक : 13 मार्च, 2024 के साथ संलग्न विशेष सचिव, महिला कल्याण अनुभाग–3 उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–244 / 60–3–2024–आर–1103 / 2021, दिनांक : 22.02.2024 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि "प्रत्येक सरकारी सेवक अपने विवाह के संबंध में यह उल्लेख करते हुये अपने नियुक्ति प्राधिकारी विभागाध्यक्ष को स्वहस्ताक्षरित एक घोषणा–पत्र प्रदान करेगा, कि उसने कोई दहेज नहीं लिया है" के संदर्भ में दिनांक : 31.03.2004 के बाद नियुक्त कार्मिकों से लिये गये घोषणा पत्रों की सूचना निदेशालय महिला कल्याण, जवाहर भवन, लखनऊ की ई–मेल आई0डी0 directormahilakalyau@gmail.com पर प्रेषित करने की अपेक्षा की गई है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि संलग्न विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के पत्र संख्या–565 / सत्तर–3–2024, दिनांक : 13 मार्च, 2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में नियुक्त कार्मिकों से लिये गये घोषणा पत्रों की सूचना निदेशालय महिला कल्याण, जवाहर भवन, लखनऊ की ई–मेल आई0डी0 directormahilakalyau@gmail.com पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक – यथोपरि।

भवदीय,

(वीरेन्द्र कुमार मौर्य)
कुलसचिव

प्रतिलिपि अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

01. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
02. विशेष सचिव, महिला कल्याण अनुभाग–3 उ0प्र0 शासन।
03. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, सहारनपुर एवं मेरठ मण्डल।
04. कुलपति कार्यालय को कुलपति महोदय के सूचनार्थ।

कुलसचिव

महत्वपूर्ण / समयबद्ध
संख्या–482 / सत्तर–3–2024

प्रेषक,

डॉ0 अखिलेश कुमार मिश्रा,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. **निदेशक,** उच्च शिक्षा उ0प्र0 प्रयागराज।
2. **कुलसचिव,** समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उ0प्र0।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 **लखनऊ : दिनांक 13 मार्च, 2024**

विषयः उ0 प्र0 दहेज प्रतिषेध नियमावली, 1999 यथासंशोधित नियमावली, 2004 के प्रावधानों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव, महिला कल्याण अनुभाग–3 उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–244 / 60–3–2024–आर–1103 / 2021, दिनांक 22.02.2024 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– उक्त संदर्भित के माध्यम से यह अवगत कराते हुये कि दहेज प्रथा जो एक सामाजिक बुराई है को रोकने के उद्देश्य से उ0प्र0 दहेज प्रतिषेध अधिनियम , 1961 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या–1895 / 60–3–99–3(68) / 97, दिनांक 29.10.1999 द्वारा दहेज प्रतिषेध नियमावली, 1999 प्रख्यापित की गयी है। इस संबंध में अधिसूचना संख्या–2457 / 60–3–99–3(65) / 97, दिनांक 31.03.2004 प्रथम संशोधन जारी करते हुये नियमावली के नियम–5 में यह व्यवस्था की गयी है कि " प्रत्येक सरकारी सेवक अपने विवाह के संबंध में यह उल्लेख करते हुये अपने नियुक्ति प्राधिकारी विभागाध्यक्ष को स्वहस्ताक्षरित एक घोषणा–पत्र प्रदान करेगा, कि उसने कोई दहेज नहीं लिया है" के सन्दर्भ में दिनांक 31.03.2004 के नियुक्त कार्मिकों से लिये गये घोषणा पत्रों की सूचना निदेशालय महिला कल्याण, जवाहर भवन, लखनऊ की ई–मेल आई0डी0- directormahilakalyau@gmail.com पर प्रेषित करने हेतु सन्बन्धित को निर्देशित करने की अपेक्षा की गयी है।

3– इस सम्बन्ध में विशेष सचिव, महिला कल्याण अनुभाग–3 उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–244 / 60–3–2024–आर–1103 / 2021, दिनांक 22.02.2024 की छायाप्रति प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में की गयी अपेक्षानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुये कृत कार्यवाही से शासन को समयान्तर्गत अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,
13/3/24
(डॉ0 अखिलेश कुमार मिश्रा)
विशेष सचिव।

Nisha G.O.

संख्या- 482 / सत्तर-2-2024

प्रमुख सचिव कार्यालय में
प्राप्त दिनांक 23/2/24

संख्या-244 / 60-3-2024-आर-1103 / 2021

प्रेषक,

महावीर प्रसाद गौतम,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव,
उ0प्र0 शासन।

महिला कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 22 फरवरी, 2024

विषय-उ0प्र0 दहेज प्रतिषेध नियमावली, 1999 यथासंशोधित नियमावली, 2004 के प्रावधानों के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

सूच्य है कि दहेज प्रथा जो कि एक सामाजिक बुराई है, को रोकने के उद्देश्य से उ0प्र0 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत महिला एवं बाल विकास अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-1895 / 60-3-99-3(68) / 97, दिनांक 29.10.1999 द्वारा उ0प्र0 दहेज प्रतिषेध नियमावली, 1999 प्रख्यापित की गयी है। तत्पश्चात अधिसूचना संख्या-2457 / 60-3-3(65) / 97, दिनांक 31.03.2004 द्वारा उ0प्र0 दहेज प्रतिषेध नियमावली, 2004 प्रथम संशोधन जारी करते हुये नियमावली के नियम-5 में यह व्यवस्था की गयी है कि "प्रत्येक सरकारी सेवक अपने विवाह के संबंध में यह उल्लेख करते हुये अपने नियुक्ति प्राधिकारी विभागाध्यक्ष को स्वहस्ताक्षरित एक घोषणा-पत्र प्रदान करेगा, कि उसने कोई दहेज नहीं लिया है"।

2- इस सम्बन्ध में अनुरोध है कि कृपया दिनांक 31.03.2004 के बाद नियुक्त कार्मिको से लिये गये घोषणा पत्रों की सूचना निदेशालय महिला कल्याण, जवाहर भवन, लखनऊ की ई-मेल आई0डी0-directormahilakalyan@gmail.com पर प्रेषित करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(महावीर प्रसाद गौतम)
विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निदेशक, महिला कल्याण को इस आशय से प्रेषित कि कृपया समस्त विभागों से समन्वय स्थापित कर उपरोक्त सूचना प्राप्त कर समेकित रूप से शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(महावीर प्रसाद गौतम)
विशेष सचिव।

(डॉ0 अखिलेश कुमार मिश्रा)
विशेष सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।